A2
7

फर्द अहकाम (नियम 26) 43/2016 अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानग

परमजीतसिंह बनाम ग्राम पंचायत ख्यालीवाला व अन्य

निगरानी पंचायत अ0 धारा 97 राज0 पंचायत राज अधि0,1994

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 43 / 16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
5–9–16	निगरानीकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित। निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी में मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए निगरानी दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। ग्राम पंचायत ख्यालीवाला का निगरानीकृत पट्टे से संबंधित मूल रेकार्ड तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 6–10–16 को पेश हो। Lakio	नि.कर्ता- कैविएट-कर्ता द्वारा प्रस्तुत कैविएट शा० मिसल है। N.J. [illegible] 2205 6.9.16
6.10.16	नि०कर्त्ता के अधिवक्ता उप०। अप्रार्थी सं० 01 को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त एवं अप्रार्थी सं. 02 को जारी नोटिस बाद अदम तामील - अप्राप्त। रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 7.11.16 को पेश हो। पुनश्च: इतना लिखने पर श्री बलकरणसिंह बराड़, Adv. ने वकालतनामा पेश किया, शा० मिसल हो। पत्रावली दिनांक 07.11.16 को पेश हो।	
7.11.16	निगरानीकर्ता के Ad. उप०। अप्रार्थी सं० एक के Ad. उप०। अप्रार्थी सं० 2 का नोटिस बाद तामील प्राप्त। निगरानीकृत आदेश दि० 30.1.13 जिसके द्वारा भूखण्ड सं० 279-280-282-285 एवं 284 अप्रार्थी सं० दो रा.उ.प्रा.वि. ख्यालीवाला को नि:शुल्क आवंटित किये गये हैं, से संबंधित मूल रेकार्ड यथा कार्यवाही रजि०, पट्टा रजि०, नक्शा, आवेदन पत्रावली, खसरा आबादी रजि० तलब किया जावे। निगरानी के अनुसार भूखण्ड सं० 279 साईज 50×60 F दि० 20.4.06 को निगरानीकर्ता	

Scanned by CamScanner

Continuation Note Sheet

Diary No.	
27.2.17	अभिभाषक उभय पक्ष उप0। प्रार्थना पत्र O-1 R-10 CPC के प्रार्थना पत्र पर आदेश पृथक से सविस्तार लिखाया जाकर, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रार्थीगण को बतौर अप्रार्थीगण निगरानी में पक्षकार प्रत्यक्षेजित किया जाता है। निगरानीकर्ता के Ad. संशोधित शीर्षक पेश करें। रेकार्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 27-3-17 को पेश हो।
27.03.17	अभिभाषक उभय पक्ष उप0। निगरानीकर्ता के Adv. ने संशोधित शीर्षक पेश नहीं किया। रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक दिनांक 27.04.17 को पेश हो।
25.04.2017 Not Pressed 25/4/17	निगरानीकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेशी में ली गई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। निगरानीकर्त्ता के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पंचायत के मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा राजीनामा करवा दिया गया है, इसलिए वे निगरानी को चलना नहीं चाहते है। अतः प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जावे। साथ ही निगरानीकर्त्ता के अधिवक्ता ने नोटप्रैस कर प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। अतः निगरानीकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रैस करने के कारण, हस्तगत निगरानी नोटप्रैस में खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति ग्राम पंचायत को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। 25/4/17 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner